भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3358

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

यात्रा अवकाश रियायत

3358. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) उद्देश्य के लिए टिकटों की बुकिंग को केवल तीन सरकारी स्वामित्व वाली फर्मों बामर लॉरी, अशोका ट्रेवल्स और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) से हवाई बुकिंग को सीमित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एलटीसी उद्देश्य के लिए हवाई टिकट खरीदने के लिए एयरलाइंस कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट को अधिकृत नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या डिजिटल भारत अभियान को मजबूती प्रदान करने तथा पहुंच और सुगमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का एलटीसी के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा यात्रा के लिए हवाई टिकट खरीदने के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट को अधिकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : सरकारी कर्मचारियों के लिए 'सर्वोत्तम उपलब्ध किराया' पर टिकटों की बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 31.12.2021 और दिनांक 16.02.2022 के का.ज्ञा. संख्या 19024/03/2021-स्था.IV द्वारा सरकार की ओर से तीन ट्रैवल एजेंसियों यथा- बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को प्राधिकृत किया गया है।

****